कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट

पत्रांक: मु०चि०अ० / कोविड–19 / 2020–21 / 3594   दिनांक – 01/7/020

- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
  संयुक्त जिला चिकित्सालय चित्रकूट।
- अधीक्षक,
  सा०प्रा०स्वा०केन्द्र शिवरामपुर / मऊ / मानिकपुर / रामनगर / पहाड़ी / राजापुर चित्रकूट।

विषय: कोविड– 19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठको व कार्यालयो मे धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादो के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोष / 2020–21 / 8461 लखनऊ / दिनांक 23.06.2020 के क्रम मे निर्देशित किया गया है कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठको व कार्यालयो मे धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादो के उपयोग एवं थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु प्राप्त दिशानिर्देश के अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 संक्रमण को ध्यान मे रखते हुए समस्त चिकित्सालयो, ग्राम पंचायतो की बैठको एवं कार्यालयो मे धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादो के उपयोग एवं थूकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हुए उपयोग करने वाले व्यक्तियो से जुर्माना वसूली की नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चित्रकूट

01/7/2020

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार –
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति चित्रकूट।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
5. मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट।
6. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी एन0सी0डी0 चित्रकूट।
7. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी सा0प्रा0स्वा0केन्द्र चित्रकूट।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चित्रकूट